भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *398

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार

*398. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री राजकुमार चाहर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2025 में अधिसूचित "सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार" योजना के राष्ट्रीय राजमार्गों पर "गोल्डन ऑवर" के दौरान मृत्यु दर को कम करने में प्रभावी परिणाम मिले हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए क्या समय-सीमा अभिकल्पित की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहचान किए गए और सुधारे गए "ब्लैक स्पॉट्स" की संख्या कितनी है और इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम (आईआरएपी) के मानकों के अनुसार सड़क संबंधी "स्टार रेटिंग" को अनिवार्य रूप से लागू करने में हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं को बैरियर-मुक्त टोल संग्रह के लिए सक्षम बनाने और प्रवेश बिंदुओं पर भीड़भाड़ कम करने के लिए फास्टैग 2.0 के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने के लिए क्या ठोस पहल की गई हैं; और

(घ) उपर्युक्त पहलों की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार' के संबंध में श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव और श्री राजकुमार चाहर द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) मोटर यान अधिनियम (एमवी अधिनियम), 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुरूप "प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना" को अधिसूचित किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, संबंधित हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के विवरण वाले व्यापक दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं। पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के बाद दिनांक 13.02.2026 को इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है। जैसा कि इस योजना को दिनांक 13.02.2026 को शुरू किया गया है, अत: इतनी जल्दी "महत्वपूर्ण समय (गोल्डन ऑवर)" के दौरान मौतों में कमी के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया जा सकता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) सड़क की किसी भी श्रेणी पर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अध्यधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा। यह उपचार कवर उन सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा जो मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ii) प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को पुलिस कार्रवाई के अध्यधीन, निर्दिष्ट अस्पतालों में जीवन के गैर जोखिम वाले मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

(iii) इस वैधानिक योजना को किसी भी अन्य केंद्रीय / राज्य स्तरीय योजनाओं पर वरीयता होगी।

(iv) इस योजना को दो मौजूदा प्लेटफार्मों - पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) और अस्पतालों द्वारा उपचार, दावा प्रस्तुत करने और उसके भुगतान की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) का टीएमएस 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली), के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(v) अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना कोष (एमवीएएफ) के माध्यम से की जा रही है, जो उन मामलों के लिए सामान्य बीमा कंपनियों के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित है जहां उल्लंघन करने वाला मोटर वाहन बीमित है और गैर बीमित मोटर वाहन तथा हिट एंड रन मामलों के लिए बजटीय सहायता से वित्त पोषित किया जाता है।

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के साथ एकीकरण के माध्यम से, पीड़ित या गुड सेमेरिटन (राह-वीर) स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार निकटतम निर्दिष्ट अस्पताल के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है, एम्बुलेंस का अनुरोध कर सकता है या दोनों ही कर सकता है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करते ही एनएचए द्वारा विकसित स्वास्थ्य लाभ पैकेज के आधार पर उसकी उपचार प्रक्रिया शुरू करनी

होगी। इसके साथ ही उपचार शुरू करते समय, टीएमएस प्लेटफॉर्म में पीड़ित का पुलिस प्रमाणीकरण शुरू करना होगा। अस्पताल टीएमएस पर उपचार आईडी (आईडी) तैयार करेगा और इसे ईडीएआर के माध्यम से जिला पुलिस को भेजेगा। ईडीएआर पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास 24 घंटे तक समय उपलब्ध होगा या अस्पताल प्रशासक द्वारा तय किए गए अनुसार जीवन के जोखिम वाली स्थितियों में 48 घंटे तक होगा।

दुर्घटना बाहुल्य स्थल (ब्लैक स्पॉट) का सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर चिह्नित कुल 16,542 ब्लैक स्पॉट में से 14,138 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक सुधार कार्य पूरा हो चुका है। सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्टों द्वारा अनुशंसित दीर्घकालिक सुधार उपाय केवल आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर ही कार्यान्वित किए जाते हैं। तदनुसार, 6,649 ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालिक उपाय पूरे हो चुके हैं, जबकि 4,077 ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए दीर्घकालिक उपाय की आवश्यकता नहीं पाई गई है। विवरण **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निर्माण कार्य मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस की पद्धति संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टीस) के साथ ही सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों में आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और उद्घाटन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा ऑडिट हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

टोल संचालन को बेहतर बनाने और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास में, सरकार ने मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, जो एआई एनालिटिक्स के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) और उच्च निष्पादन रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (फास्टैग) सहित एकीकृत तकनीकों का उपयोग करके बाधा-मुक्त (बैरियर फ्री) टोल प्रणाली की सुविधा प्रदान करती है, जहां इस प्रयोजन के लिए टोल प्लाजा लेन में वाहन को रोके बगैर प्रयोक्ता से प्रयोक्ता शुल्क वसूला जाएगा।

उन शुल्क प्लाजाओं, जिनके लिए बैरियर फ्री टोल प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु एमएलएफएफ लागू करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) को अंतिम रूप दिया जा चुका है, का विवरण **अनुलग्नक-ख** में संलग्न है।

उन शुल्क प्लाजाओं, जिनके लिए बैरियर फ्री टोल प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किया गया है, का विवरण **अनुलग्नक-ग** में संलग्न है।

अनुलग्नक-क

"सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार' के संबंध में श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव और श्री राजकुमार चाहर द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लैक स्पॉट	पूरे हो चुके अल्पकालिक सुधार कार्य	पूरे हो चुके दीर्घकालिक सुधार कार्य
गुजरात	386	386	168
ओडिशा	597	582	378
तमिलनाडु	1661	1633	613
महाराष्ट्र	550	534	267
पश्चिम बंगाल	1339	1322	803
दिल्ली	335	335	181
झारखंड	279	279	120
कर्नाटक	1278	1220	701
केरल	701	599	123
गोवा	50	40	26
आंध्र प्रदेश	1060	787	343
तेलंगाना	1535	1259	516
बिहार	306	291	64
असम	285	252	77
मिजोरम	1	1	1
मेघालय	56	36	23
नागालैंड	71	50	64
सिक्किम	16	16	16
मणिपुर	19	14	14
त्रिपुरा	29	21	12
अरुणाचल प्रदेश	9	9	0
उत्तराखंड	110	107	80
पंजाब	1407	1112	463
हरियाणा	124	121	58
चंडीगढ़	7	7	0
मध्य प्रदेश	596	590	225
उत्तर प्रदेश	2210	1067	540
जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	224	170	62
हिमाचल प्रदेश	232	232	199
छत्तीसगढ	338	337	245
राजस्थान	727	727	265
अंडमान और निकोबार	4	2	2

अनुलग्नक-ख

"सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार' के संबंध में श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव और श्री राजकुमार चाहर द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	शुल्क प्लाजा	एनएच / राज्य	स्थिति
1.	घरौंडा टोल प्लाजा	हरियाणा में एनएच-44	कार्य सौंप दिया गया
2.	चोरयासी टोल प्लाजा	गुजरात में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
3.	दौलतपुरा टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
4.	मनोहरपुरा टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
5.	शाहजहांपुर टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
6.	मुंडका टोल प्लाजा	दिल्ली में यूईआर-II	कार्य सौंप दिया गया
7.	बोरियाच टोल प्लाजा	गुजरात में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
8.	नेमिली टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
9.	चेनासमुद्रम टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-48	कार्य सौंप दिया गया
10.	परानूर टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-45	कार्य सौंप दिया गया
11.	कासेपल्ली टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44	कार्य सौंप दिया गया
12.	अमाकाथाडु टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44	कार्य सौंप दिया गया
13.	मारूर टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44	कार्य सौंप दिया गया
14.	चालकवाड़ी टोल प्लाजा	महाराष्ट्र में एनएच-50	कार्य सौंप दिया गया
15.	हिवारगांव पावसा टोल प्लाजा	महाराष्ट्र में एनएच-50	कार्य सौंप दिया गया
16.	बदरपुर फरीदाबाद टोल प्लाजा	हरियाणा में एनएच-19	कार्य सौंप दिया गया

अनुलग्नक-ग

'सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार' के संबंध में श्री चव्हाण रवींद्र वसंतराव और श्री राजकुमार चाहर द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	शुल्क प्लाजा का नाम	एनएच संख्या
1	कुराना टोल प्लाजा	334
2	सिरोही बहाली टोल प्लाजा	148बी 11
3	जीवाना टोल प्लाजा	709 बी
4	कथुवास टोल प्लाजा	11
5	घमरोज सोहना रोड टोल प्लाजा	248ए
6	तामसाबाद टोल प्लाजा	709 एडी
7	किरंज टोल प्लाजा	148
8	पटनीप्रतापुर	709एए
9	भुनी टोल प्लाजा	709ए
10	जगहेरी शुल्क प्लाजा	709 एडी
11	भानरा	119 (नया 34)
12	छोटा मवाना	119 (नया 34)
13	दाभेदी टोल प्लाजा	709बी
14	मुजेरा टोल प्लाजा	709 एडी
15	नारायणपुरा	48
16	दकन कोटरा	48
17	जसवंतगढ़ (गोगुंडा)	27
18	मलेरा	27
19	किशोरपुरा	52
20	बीरमंडी	52
21	मंदाना	52
22	बिरतिया कलां	25
23	बिनावास	25
24	डांगियावास	125ए
25	मनकलाओ-टीपी-02	125ए
26	टैंकला	62
27	नेत्र	62
28	हिंगोनिया	148सी
29	सीतारामपुरा	148सी
30	किशनगढ़	48
31	थिकारिया	48
32	तातियावास	52
33	अखेपुरा	52
34	थिरपाली बाड़ी	709 ई
35	टिटोली	11ए विस्तार
36	रबावाटा	11ए विस्तार
